



2026:AHC:53816

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत बीएनएसएस की धारा 528 संख्या - 7982 वर्ष 2026

यासीन एवं 4 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मोहम्मद आदिल

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उन्होंने आवेदन के प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदन में उल्लिखित राहत का विवरण नीचे दिया गया है:-

"अतः, अत्यंत सम्मानपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय दिनांक 08.12.2025 के समझौते (इस शपथपत्र का अनुलग्नक संख्या 4) के आलोक में, मुकदमा अपराध संख्या 25/2010, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भारतीय दंड संहिता, थाना संभल, जनपद संभल से उद्भूत सत्र विचारण संख्या 355/2012 (राज्य बनाम यासीन एवं अन्य), जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. द्वितीय, मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद की न्यायालय में लंबित में है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ आरोप-पत्र दिनांक 09.06.2010 और संज्ञान एवं समन आदेश दिनांक 18.04.2011 को रद्द करने की कृपा करे।"

"यह भी प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय मुकदमा अपराध संख्या 25/2010, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307 भारतीय दंड संहिता, थाना संभल, जनपद संभल से

उद्धृत सत्र विचारण संख्या 355/2012 (राज्य बनाम यासीन एवं अन्य), जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. द्वितीय, मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद की न्यायालय में लंबित में है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ आरोप-पत्र दिनांक 09.06.2010 और संज्ञान एवं समन आदेश दिनांक 18.04.2011 पर रोक लगाने की कृपा करे।"

3. विद्वान शासकीय अधिवक्ता, श्री शशिधर पाण्डेय, का तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि चोट आग्नेयास्त्र से पहुंचाई गई थी और इसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि चोट घायल व्यक्ति के सिर पर कारित की गई थी।

4. चोट की रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने चोट की रिपोर्ट संलग्न नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने समझौता आवेदन के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाते हुए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2014) 6 सुप्रीम कोर्ट केसेज 466 : (2014) 3 एससीसी (आपराधिक) 54 के मामले के पैराग्राफ 29 में वे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनसे उच्च न्यायालय पक्षों के बीच समझौते को उचित महत्व देने और धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए समझौते को स्वीकार करने एवं कार्यवाही को रद्द करने, अथवा समझौते को स्वीकार करने से इनकार करते हुए आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का निर्देश देने के संबंध में निर्देशित होगा। उपरोक्त निर्णय का पैराग्राफ 29 नीचे उद्धृत किया जा रहा है: -

"29.1 संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति, संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों के शमन करने की न्यायालय की शक्ति से भिन्न है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की धारा 482 के तहत, उच्च न्यायालय के पास उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है जो शमनीय नहीं हैं, जहाँ पक्षों ने आपस में मामला सुलझा लिया है। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग विरल रूप से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।"

29.2 जब पक्षकार समझौते पर पहुँच जाते हैं और उस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो ऐसे मामलों में मार्गदर्शक कारक निम्नलिखित को सुनिश्चित करना होगा:

(i) न्याय के उद्देश्य, या

(ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना।

इस शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को उपरोक्त दो उद्देश्यों में से किसी एक पर अपनी राय बनानी होती है।

29.3 ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें जघन्य और गंभीर मानसिक विकृति के अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते और समाज पर इनका गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत किए गए कथित अपराधों या लोक सेवकों द्वारा उस क्षमता में कार्य करते हुए किए गए अपराधों को केवल पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

29.4 दूसरी ओर, वे आपराधिक मामले जो अत्यधिक और मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति के हैं, विशेष रूप से वे जो व्यावसायिक लेनदेन से उत्पन्न होते हैं या वैवाहिक संबंधों या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें तब रद्द कर दिया जाना चाहिए जब पक्षों ने अपने बीच के संपूर्ण विवादों को सुलझा लिया हो।

29.5 अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को इस बात की जांच करनी होती है कि क्या दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम और क्षीण है और क्या आपराधिक मामलों को जारी रखने से अभियुक्त को भारी उत्पीड़न और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और आपराधिक मामलों को रद्द न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा।

29.6 भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आरंगे और इसलिए इन्हें आम तौर पर समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए, न कि केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध। हालांकि, उच्च न्यायालय अपना निर्णय केवल इस आधार पर नहीं छोड़ेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 307 भारतीय दंड संहिता का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किए गए हैं। उच्च न्यायालय के लिए यह जांचना खुला होगा कि क्या धारा 307 भारतीय दंड संहिता को केवल नाम के लिए

शामिल किया गया है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जिन्हें यदि सिद्ध कर दिया जाए, तो धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप सिद्ध हो जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय के पास यह विकल्प खुला होगा कि वह आई चोट की प्रकृति, क्या ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक अंगों पर पहुंचाई गई है, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति आदि पर विचार करे। पीड़ित को आई चोटों के संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट आम तौर पर मार्गदर्शक कारक हो सकती है। इस प्रथम दृष्टया विश्लेषण के आधार पर, उच्च न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या दोषसिद्धि की प्रबल संभावना है या दोषसिद्धि की संभावना क्षीण और धुंधली है। पूर्व स्थिति में, यह समझौते को स्वीकार करने और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर सकता है, जबकि बाद की स्थिति में, उच्च न्यायालय के लिए पक्षों के बीच पूर्ण समझौते के आधार पर अपराध के शमन की याचिका को स्वीकार करना अनुमेय होगा। इस स्तर पर, न्यायालय इस तथ्य से भी प्रभावित हो सकता है कि पक्षों के बीच समझौता उनके बीच सद्भाव पैदा करेगा जिससे उनके भविष्य के संबंध सुधर सकते हैं।

29.7 संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना है या नहीं, इसका निर्णय लेते समय समझौते का समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे मामले जहाँ कथित अपराध होने के तुरंत बाद समझौता हो जाता है और मामला अभी भी जांच के अधीन है, वहाँ उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही/जांच को रद्द करने के लिए समझौते को स्वीकार करने में उदारता दिखा सकता है। इसका कारण यह है कि इस स्तर पर जांच अभी जारी है और यहां तक कि आरोप-पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। इसी तरह, वे मामले जहाँ आरोप तय हो चुके हैं लेकिन साक्ष्य अभी शुरू होना बाकी है या साक्ष्य अभी प्रारंभिक अवस्था में है, वहाँ उच्च न्यायालय परिस्थितियों/उपरोक्त सामग्री के प्रथम दृष्टया मूल्यांकन के बाद अपनी शक्तियों का अनुकूल रूप से प्रयोग करने में परोपकारिता दिखा सकता है। दूसरी ओर, जहाँ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं या साक्ष्य समाप्त होने के बाद मामला बहस के चरण में है, वहाँ सामान्यतः उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय मामले का गुण-दोष के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में होगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध किया गया है या नहीं। इसी प्रकार, उन मामलों में जहाँ विचारण



न्यायालय द्वारा पहले ही दोषसिद्धि दर्ज की जा चुकी है और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के चरण में है, पक्षों के बीच केवल समझौता करना ही उसे स्वीकार करने का आधार नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप उस अपराधी को दोषमुक्त कर दिया जाए जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। यहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप सिद्ध हो चुका है और एक जघन्य अपराध के लिए दोषसिद्धि दर्ज की जा चुकी है, अतः ऐसे अपराध के दोषी पाए गए व्यक्ति को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।"

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने बाद के निर्णयों में समय-समय पर प्रतिपादित किया है, जो मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण एवं अन्य (2019) 5 सुप्रीम कोर्ट केसेज 688 : (2019) 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज (आपराधिक) 706, रामगोपाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2022) 14 सुप्रीम कोर्ट केसेज 531, और नौशे अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2025) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 78 के मामलों में पारित किए गए हैं।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आग्नेयास्त्र द्वारा घायल के सिर पर चोट पहुँचाने के संबंध में लगाए गए आरोपों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य धाराओं के साथ-साथ धारा 307 आई.पी.सी. के तहत भी आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, एवं ऊपर उल्लिखित निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को देखते हुए, यह न्यायालय इस स्तर पर समझौते के आधार पर प्रश्नगत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।

9. हालाँकि, आवेदकों के लिए यह विकल्प खुला है कि यदि आग्नेयास्त्र द्वारा घायल के सिर पर कोई चोट नहीं आई है, तो वे चोट की रिपोर्ट सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए दूसरा आवेदन दायर कर सकते हैं।

17 मार्च, 2026

के. तिवारी

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।